

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>घनश्याम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 311/2022</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17-10-2022</p>	<p>अपीलार्थी घनश्याम निवासी पता डी ब्लॉक, ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.07.2022 में (1) खसरा संख्या 1542 वर्तमान राजस्व ग्राम डेलुम्बा तत्कालीन राजस्व ग्राम झंवर वर्ष सन 1988 में उपतहसील जोधपुर के समय खसरो का आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ था, सहमति से भरे हुए उक्त खसरे से संबंधित सहमति पत्र व बंटवाडे से संबंधित सभी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	